राष्ट्रीयफ़ैशनप्रौद्योगिकीसंस्थान

National Institute of Fashion Technology

शैक्षणिकमामले,निफ़्टमुखयालय

Academic Affairs, NIFT Head Office

हौज़ ख़ास,नई दिल्ली

HauzKhas, New Delhi

संख्या1400(246)/निफ़्ट/प्रमुख-एए/**एसडीए**सी/सार्थक/2020 **दिनांक** 29.05.2021

विषय: निफ्ट सार्थक वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने के सन्दर्भ में।

Sub: Online submission of application for SARTHAK, NIFT Financial Assistance Scheme

यह निफ्ट सार्थक वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बारे में है।

This is with reference to the submission of application w.r.t SARTHAK, NIFT Financial Assistance Scheme.

निफ्ट सार्थक के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को त्रुटि-मुक्त, पारदर्शी और समयचीन करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से छात्र केवल निफ्ट सीएमएस पोर्टल पर ही सार्थक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। निफ्ट कैंपस केवल उन्हीं आवेदन को स्वीकार करेंगे, जिन्हे छात्रों ने निफ्ट सीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है। भौतिक रूप से जमा किए गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पोर्टल में सभी अनिवार्य दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। पहली जांच रिपोर्ट सीएमएस द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर तैयार की जाएगी जिससे छात्रों को उनके आवेदन को अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हो, की सूचना दी जाएगी। ऐसे छात्रों को अपने आवेदन पूर्ण करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देने पर विचार करने के क्रम में, छात्रों को साक्षात्कार के समय, पोर्टल में अपलोड किए गए सभी अनिवार्य दस्तावेजों के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

In order to make the process of SARTHAK application error free, transparent and timely, from the academic year 2021-22 onwards, the students will need to apply for the SARTHAK scheme by filling the applications **only on the NIFT CMS Portal**. The NIFT Campuses will accept only the applications where the students have applied through the NIFT CMS portal and no physical submission of application forms shall be accepted directly. The portal gives a platform for all the mandatory documents to be uploaded. The first scrutiny report will be generated by the CMS within a week of the last date of submission of the applications, thereby informing students the status of their applications and the reason for rejection of their application, if any. These students will further be given two weeks to resubmit their applications upon completing the same. The students will be required to produce the originals of all the mandatory documents uploaded in the portal at the time of interview in order to be considered for the grant of scholarship under the scheme.

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद भौतिक रूप में अथवा सॉफ्ट कॉपी में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस जानकारी को कैंपस निदेशकों, सीएसी, सीसी, एसडीएसी और शैक्षणिक परामर्शदाताओं के माध्यम से सभी कैंपस, छात्रों को विधिवत अधिसूचित करेगें।

No applications will be accepted in physical format or soft copy after the last date of submission. This information has to be duly notified to the students by all Campuses through Campus Directors, CACs, CCs, SDACs and the Academic Mentors.

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए सार्थक के अंतर्गत आवेदन करने की समयसीमा जून 2021 के पहले सप्ताह में अधिसूचित की जाएगी।

The timelines for the SARTHAK application for academic year 2021-22 will be notified in the first week of June 2021.

इसे महानिदेशक, निफ्ट की मंजूरी से जारी किया गया है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

प्रो.डॉ.शिंजू महाजन
प्रमुख (**शैक्षणिक मामले**)

सेवा में,

- सभी निफ्ट कैंपस निदेशक / संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि:

1) सभी कैंपस एसडीएसी
2) सभी सीएसी
3) सभी सीपी
4) प्रमुख-ईआरपी
5) डीन (**शैक्षणिक**) को सूचनार्थ
6) महानिदेशक,निफ्ट के निजी सचिव